

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल

कमांक/ 629 /विधि/प्रनिबो/2016
प्रति,

भोपाल, दिनांक 06-5-16

- 1 क्षेत्रीय अधिकारी/प्रयोगशाला प्रभारी
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
इन्दौर/धार/उज्जैन/गुना/ग्वालियर/सागर/रीवा/छिन्दवाडा
सतना/सिंगरौली/जबलपुर/शहडोल/भोपाल/कटनी
- 2 समस्त शाखा प्रभारी,
मुख्यालय,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल

विषय:- वर्ष 2015-16 में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरुस्कृत करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने
बाबत।


सन्दर्भ:- बोर्ड मुख्यालय का आदेश कमांक 1317 दिनांक 31/3/2016

सन्दर्भित आदेश द्वारा लागू योजना अनुसार वर्ष 2015-16 में उत्कृष्ट कार्य करने
वाले कार्यालयों/ प्रयोगशालाओं एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरुस्कार प्रदान किये
जाने हैं ।

इस संबंध में बोर्ड द्वारा जैयार मार्गदर्शिका की प्रति संलग्न है । कृपया आप अपने
कार्यालय/ कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु प्रत्येक वर्ग हेतु पृथक-पृथक
प्रस्ताव मार्गदर्शिका में उल्लेखित बिन्दुओं पर जानकारी सहित आवश्यक रूप दिनांक
15 मई 2016 को मध्यान्ह 3.00 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

कृपया सूचित हों कि निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त, ^{प्रस्ताव} ~~आवेदन~~ पर ही विचार किया
जावेगा ।

संलग्न:- मार्गदर्शिका ।


(ए० ए० मिश्रा)
सदस्य सचिव, ६

- 1 स्टॉफ ऑफिसर, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2 समस्त संबंधित अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 3 आईटी शाखा/गार्ड नस्ति/ऑर्डर बुक

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरुस्कृत किये जाने नामांकन की मार्गदर्शिका

बोर्ड के आदेश क्रमांक 1317 दिनांक 31/3/2016 द्वारा म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में उत्कृष्ट कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयोगशालाओं तथा क्षेत्रीय अधिकारियों, प्रयोगशाला प्रभारियों तथा मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, तथा क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को उनके द्वारा वित्तीय वर्ष में किये गये उत्कृष्ट कार्यों हेतु पुरुस्कृत किया जाना है ।

पुरुस्कार हेतु कार्यालयों/प्रयोगशालाओं एवं कार्यालयों में पदस्थ सभी श्रेणी के एक-एक अधिकारियों को पृथक-पृथक नामांकित किया जायेगा । उक्त नामांकन हेतु प्रारम्भिक जांच बिन्दु निम्नानुसार होंगे :-

- 1 क्षेत्रीय कार्यालय
- 2 क्षेत्रीय प्रयोगशाला
- 3 क्षेत्रीय अधिकारी
- 4 प्रयोगशाला प्रभारी
- 5 मुख्यालय के शाखा प्रभारी/तकनीकी शाखा के यूनिट हेड

इन सभी का नामांकन सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्न बिन्दुओं पर कार्य की रेटिंग में उच्च अंकों के आधार पर किया जायेगा :-

- 1 कार्य निष्पादन में तत्परता
- 2 कार्य की गुणवत्ता
- 3 मुख्यालय के निर्देशों का अनुपालन
- 4 सम्मति प्रकरणों के समय पर निराकरण की स्थिति
- 5 नवीनीकरण प्रकरणों के समय पर निराकरण की स्थिति
- 6 उद्योगों में प्रदूषणकारी स्रोतों पर उपकरणों की स्थापना
- 7 कार्यक्षेत्र के उद्योगों से जल उपकर निर्धारण एवं लक्ष्य पूर्ती की स्थिति
- 8 कार्यक्षेत्र में विभिन्न प्रकार के नमूनों के संग्रहण एवं विश्लेषण की स्थिति
- 9 नवीन कार्यों हेतु स्व प्रेरणा से पहल अथवा किये गये कार्यों की विशिष्टता
- 10 प्रयोगशाला में उपकरणों की स्थापना एवं संचालन की स्थिति
- 11 प्रयोगशाला में कैमिकल ग्लासवेयर की उपलब्धता एवं रख-रखाव की स्थिति
- 12 अधीनस्थ स्टॉफ के माध्यम से प्रयोगशाला के उपकरणों का संचालन एवं मॉनीटरिंग कार्य की उपलब्धि ।
- 13 क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ अधीनस्थ स्टॉफ के माध्यम से कार्यों के निष्पादन में उपलब्धि
- 14 न्यायालयीन प्रकरणों में बोर्ड का पक्ष प्रस्तुत करने की स्थिति
- 15 कार्यालयीन प्रक्रिया में नियमों के संज्ञान तथा अनुपालन की स्थिति
- 16 माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाईन प्रकरणों/विधानसभा प्रश्न/शिकायतों के निराकरण की स्थिति
- 17 उद्योगों/संस्थानों के निरीक्षण में पर्यावरणीय पहलुओं के संज्ञान की स्थिति
- 18 क्षेत्र में अन्य विभागों/संस्थानों के मध्य संबंधों की स्थिति
- 19 कार्यालय/प्रयोगशाला द्वारा वर्ष में प्राप्त आय का वर्ष 2014-15 की तुलना में वृद्धि की स्थिति
- 20 कार्यालय/प्रयोगशाला द्वारा वर्ष में व्यय का वर्ष 2014-15 की तुलना में वृद्धि की स्थिति
- 21 आय-व्यय में तुलनात्मक अन्तर के सुधार हेतु प्रयास की स्थिति
- 22 उद्योगों/संस्थानों को पूर्व अवधि के शुल्क प्राप्ति हेतु प्रयास की स्थिति
- 23 कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन की स्थिति तथा मार्गदर्शक की भूमिका
- 24 न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य निष्पादन की स्थिति
- 25 एक्सजीएन के माध्यम से निष्पादित कार्यों की स्थिति

उपरोक्त 25 बिन्दुओं पर प्राप्त अंकों का आधार माना जायेगा ।
कार्य के मूल्यांकन में अंकों का निर्धारण निम्नानुसार होगा :-

- 2 बहुत अच्छ -3
- 3 अच्छ -2
- 4 सामान्य-1

कुल 25 बिन्दुओं के कुल अंक 100 होते हैं जिनमें से उपरोक्त वर्गीकरण अनुसार अधिकतम अंक प्राप्त अधिकारियों को उक्त पुरस्कार हेतु नामांकित किया जायेगा । उक्त नामांकन के साथ वर्ष 2015-16 के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रति भी संलग्न की जायेगी ।

पुरस्कार हेतु कार्यालयों/प्रयोगशालाओं एवं मुख्यालय में पदस्थ सभी द्वितीय श्रेणी अथवा उससे वरिष्ठ स्तर के एक अधिकारी को नामांकित किया जायेगा । उक्त नामांकन हेतु प्रारम्भिक जांच के बिन्दु निम्नानुसार होंगे :-

- 1 कार्य निष्पादन में तत्परता
- 2 कार्य की गुणवत्ता
- 3 वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन
- 4 प्रकरणों के समय सीमा में प्रस्तुतीकरण की स्थिति
- 5 प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण/निरीक्षण प्रतिवेदनों में तथ्यों के संज्ञान की स्थिति
- 6 प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण/निरीक्षण के दौरान पर्यावरणीय बिन्दुओं पर नमूना संग्रहण की स्थिति
- 7 प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण/निरीक्षण प्रतिवेदनों में जल/वायु प्रदूषणकारी स्रोतों पर उपकरणों की स्थापना की स्थिति का संज्ञान
- 8 प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण/उद्योगों के निरीक्षण में तथ्यों के आंकलन की सक्षमता
- 9 प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण/निरीक्षण में जल उपकर निर्धारण एवं लक्ष्य पूर्ती की स्थिति
- 10 स्व प्रेरणा से किये गये कार्यों की विशिष्टता
- 11 शाखा/प्रयोगशाला में उपकरणों की स्थापना एवं संचालन की स्थिति
- 12 शाखा/प्रयोगशाला में केमिकल ग्लासवेयर की उपलब्धता एवं रख-रखाव की स्थिति
- 13 किये गये विशिष्ट कार्य
- 14 सहयोगी स्टॉफ के मध्य से कार्यों के निष्पादन में उपलब्धि
- 15 न्यायालयीन प्रकरणों में बोर्ड का पक्ष प्रस्तुत करने की स्थिति
- 16 कार्यालयीन प्रक्रिया में नियमों के संज्ञान तथा अनुपालन की स्थिति
- 17 विधानसभा प्रश्नों के उत्तरों के समय पर संप्रेषण की स्थिति
- 18 प्राप्त शिकायतों के निराकरण की स्थिति
- 19 माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाईन प्रकरणों के निराकरण की स्थिति
- 20 उद्योगों/संस्थानों के निरीक्षण में पर्यावरणीय पहलुओं के संज्ञान की स्थिति
- 21 कार्यालयीन कार्य में मार्गदर्शक की भूमिका
- 22 न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य निष्पादन की स्थिति
- 23 बोर्ड की ओर से समितियों में नामांकित अधिकारी के रूप में कार्य निष्पादन की स्थिति
- 24 शाखा के कार्यों/ क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रदूषण की स्थिति के दौरान आकास्मिकता में किये गये विशिष्ट कार्य
- 25 कार्यालयीन स्टॉफ/आम जनता के साथ संबंध

उपरोक्त 25 बिन्दुओं पर प्राप्त अंकों का आधार माना जायेगा जिस के मूल्यांकन में अंकों का निर्धारण निम्नानुसार होगा :-

- 1 उत्कृष्ट -4
- 2 बहुत अच्छ -3
- 3 अच्छ -2
- 4 सामान्य-1

कुल 25 बिन्दुओं के कुल अंक 100 होते हैं जिनमें से उपरोक्त वर्गीकरण अनुसार अधिकतम अंक प्राप्त अधिकारियों को उक्त पुरस्कार हेतु नामांकित किया जायेगा । उक्त नामांकन के साथ वर्ष 2015-16 के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रति भी संलग्न की जायेगी ।

पुरुस्कार हेतु कार्यालयों/प्रयोगशालाओं एवं मुख्यालय में पदस्थ सभी तृतीय श्रेणी के एक-एक कर्मचारी को नामांकित किया जायेगा । उक्त नामांकन हेतु प्रारम्भिक जांच के बिन्दु निम्नानुसार होंगे :-

- 1 कार्य निष्पादन में तत्परता
- 2 कार्य की गुणवत्ता
- 3 वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन
- 4 प्रकरणों के समय सीमा में प्रस्तुतीकरण की स्थिति
- 5 प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण/निरीक्षण प्रतिवेदनों में तथ्यों के संज्ञान की स्थिति
- 6 प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण/निरीक्षण के दौरान पर्यावरणीय प्रदूषकों के नमूना संग्रहण स्थिति
- 7 प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण/निरीक्षण प्रतिवेदनों में जल/वायु प्रदूषणकारी स्रोतों पर उपकरणों की स्थापना की स्थिति का संज्ञान
- 8 प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण/उद्योगों के निरीक्षण में तथ्यों के आंकलन की सक्षमता
- 9 प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण/निरीक्षण में जल उपकर निर्धारण एवं लक्ष्य पूर्ती की स्थिति
- 10 स्व प्रेरणा से किये गये कार्यों की विशिष्टता
- 11 शाखा/प्रयोगशाला में उपकरणों की स्थापना एवं संचालन की स्थिति
- 12 शाखा/प्रयोगशाला में केमिकल ग्लासवेयर की उपलब्धता एवं रख-रखाव की स्थिति
- 13 किये गये विशिष्ट कार्य
- 14 सहयोगी स्टॉफ के मध्य से कार्यों के निष्पादन में उपलब्धि
- 15 न्यायालयीन प्रकरणों में बोर्ड का पक्ष प्रस्तुत करने की स्थिति
- 16 कार्यालयीन प्रक्रिया में नियमों के संज्ञान तथा अनुपालन की स्थिति
- 17 विधानसभा प्रश्नों के उत्तरों के समय पर संप्रेषण की स्थिति
- 18 प्राप्त शिकायतों के निराकरण की स्थिति
- 19 माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाईन प्रकरणों के निराकरण की स्थिति
- 20 उद्योगों/संस्थानों के निरीक्षण में पर्यावरणीय पहलुओं के संज्ञान की स्थिति
- 21 कार्यालयीन कार्य में मार्गदर्शक की भूमिका
- 22 न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य निष्पादन की स्थिति
- 23 बोर्ड की ओर से समितियों में नामांकित अधिकारी के रूप में कार्य निष्पादन की स्थिति
- 24 क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रदूषण की स्थिति के दौरान आकास्मिकता के विशिष्ट कार्य
- 25 स्टॉफ/आम जनता के साथ संबंध

उपरोक्त 25 बिन्दुओं पर प्राप्त अंकों का आधार माना जायेगा जिस के मूल्यांकन में अंकों का निर्धारण निम्नानुसार होगा :-

- 1 उत्कृष्ट -4
- 2 बहुत अच्छा -3
- 3 अच्छा -2
- 4 सामान्य-1

कुल 25 बिन्दुओं के कुल अंक 100 होते हैं जिनमें से उपरोक्त वर्गीकरण अनुसार अधिकतम अंक प्राप्त अधिकारियों को उक्त पुरुस्कार हेतु नामांकित किया जायेगा । उक्त नामांकन के साथ वर्ष 2015-16 के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रति भी संलग्न की जायेगी ।

क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु एक, तथा मुख्यालय हेतु एक कुल दो पुरुस्कार हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रयोगशालाओं एवं मुख्यालय में पदस्थ सभी चतुर्थ श्रेणी के एक-एक कर्मचारी को नामांकित किया जायेगा । उक्त नामांकन हेतु प्रारम्भिक जांच के बिन्दु निम्नानुसार होंगे :-

- 1 कार्य निष्पादन में तत्परता
- 2 कार्य की गुणवत्ता
- 3 वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन
- 4 कार्यों के समय सीमा में निराकरण की स्थिति
- 5 आज्ञाकारिता
- 6 कार्यालय में उपस्थिति
- 7 शारीरिक दक्षता

- 8 स्व प्रेरणा से कार्यों का निष्पादन
- 9 अधिकारियों एवं सहयोगियों से संबंध
- 10 गोपनीयता

उपरोक्त 10 बिन्दुओं पर प्राप्त अंकों का आधार माना जायेगा जिस के मूल्यांकन में अंकों का निर्धारण निम्नानुसार होगा :-

- 1 उत्कृष्ट -4
- 2 बहुत अच्छा -3
- 3 अच्छा -2
- 4 सामान्य-1

कुल 10 बिन्दुओं के कुल अंक 40 होते हैं जिनमें से उपरोक्त वर्गीकरण अनुसार अधिकतम अंक प्राप्त अधिकारियों को उक्त पुरस्कार हेतु नामांकित किया जायेगा । उक्त नामांकन के साथ वर्ष 2015-16 के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रति भी संलग्न की जायेगी ।

क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु एक, तथा मुख्यालय हेतु एक कुल दो पुरस्कार हेतु पुरस्कार हेतु मुख्यालय में पदस्थ वाहन चालक, भृत्य में से एक-एक कर्मचारी को नामांकित किया जायेगा । उक्त नामांकन हेतु प्रारम्भिक जांच के बिन्दु निम्नानुसार होंगे :-

- 1 कार्य निष्पादन में तत्परता
- 2 कार्य की गुणवत्ता
- 3 वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन
- 4 वाहन संचालन /रख-रखाव की स्थिति
- 5 आज्ञाकारिता
- 6 कार्यालय में उपस्थिति
- 7 शारीरिक दक्षता
- 8 स्व प्रेरणा से कार्यों का निष्पादन
- 9 अधिकारियों एवं सहयोगियों से संबंध
- 10 गोपनीयता

उपरोक्त 10 बिन्दुओं पर प्राप्त अंकों का आधार माना जायेगा जिस के मूल्यांकन में अंकों का निर्धारण निम्नानुसार होगा :-

- 1 उत्कृष्ट -4
- 2 बहुत अच्छा -3
- 3 अच्छा -2
- 4 सामान्य-1

कुल 10 बिन्दुओं के कुल अंक 40 होते हैं जिनमें से उपरोक्त वर्गीकरण अनुसार अधिकतम अंक प्राप्त अधिकारियों को उक्त पुरस्कार हेतु नामांकित किया जायेगा । उक्त नामांकन के साथ वर्ष 2015-16 के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रति भी संलग्न की जायेगी ।
